

नया में पेश हो।

हेतु लौटाई जाती है। पत्रावली दिनांक 11/11/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उच. उनके द्वारा तापत्र अ-तर्जित धारा 212 पर वद्व हेतु समय प्राप्त गया।

अतः पत्रावली दि. 11/11/23 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

11/11/23
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उच. के पी. ओ. साहब चौरा पक्षकारान उच. अतः पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार दि. 20/03/24

पत्रावली दिनांक 20/3/24 से पूर्व/वद्व में न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरणों में सुनवाई हेतु पारित आदेश अनुसार आगामी तिथि दिनांक 27/2/24 को पेश हो।

आदेशानुसार

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

दिनांक 27/2/24

C.N. 57/15

पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 06/05/24 को पेश हो।

06/05/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उच. उनके द्वारा तापत्र अ-तर्जित धारा 212 पर वद्व हेतु समय प्राप्त

गया। अतः पत्रावली दि. 20/06/24 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

20/06/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उच. वकील पक्षकारों को रोक-रोक कर 5:30pm तक आवाज मारवाई गई। वकील पक्षकार या उनका कोई प्रतिनिधि उप. नहीं। अतः पत्रावली के तार्जित पत्र को अगम लेखी अदम हाजरी में धारित किया जाता है। पत्रावली के अंश उम्माद होकर पत्रावली नम्बर दे भेजें।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)